

प्रमाणित

2021
476

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~बालोतरा~~
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) ~~रापरा~~

पीठासीन अधिकारी :- ~~नरेश सोनी~~ RAS
~~वारी~~

उपस्थित ~~गोविन्दान पुत्र जोगदान~~ उनवान ~~वारी~~
~~जाति काव निरा रापरा~~ बनाम ~~किमरामा पुत्र जोगदान~~
दावा बाबत ~~V.S. 18/2021~~ ~~कलबी वारेण्ड~~

मुकदमा नम्बर :- 1/2021

निर्णय दिनांक :- 21-10-2021

वादी की ओर से ~~गोविन्दान पुत्र जोगदान~~ की व प्रतिवादी की ओर से ~~गडहीमारा व~~
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21-10-2021 को ~~नरेश सोनी~~ नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, ~~बालोतरा~~ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है औ
डिक्री दी जाती है कि - ~~वारी के वाद के स्वीकार कर मोंजा रापरा~~
~~के क्षेत्र कसरा नम्बर 212 व 213-30-15 की मात वाद गजल अराजी~~
~~में वारी का दावा कालूराम पुत्र जोगदान के दायनपर~~
~~गोविन्दान पुत्र जोगदान द्वारा किमरामा है।~~
~~गडहीमारा पंचायत, तहानुसार राजदक रेकॉर्ड में डिक्री~~
~~करे।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



~~(नरेश सोनी)~~
~~(नरेश सोनी)~~

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....